



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44307

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8184 सन् 2026

राजेन्द्र तथा 7 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण की ओर से अधिवक्ता

: राज कुमार केसरी

प्रत्यर्थागण की ओर से अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

2. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका में निहित विवाद पूर्णतः रिट-सी संख्या 22475 सन् 2024 (आस मोहम्मद तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के समान है, जिसमें दिनांक 14.11.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-

(1) याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित एस.सी. तथा प्रत्यर्था संख्या 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

(2) याचिकाकर्तागण की ओर से यह प्रतिपादित किया गया कि याचिकाकर्तागण के पिता रफीक को वर्ष 1980 में खसरा संख्या 229, क्षेत्रफल 0.2970 हेक्टेयर कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। उक्त पट्टे की स्वीकृति दिनांक 26.11.1980 को दी गई तथा विवादित भूमि का कब्जा दिनांक 21.01.1981 को प्रदान किया गया। याचिकाकर्तागण के पिता रफीक का नाम खतौनी वर्ष 1385-फसली से 1390-फसली तक अंकित रहा तथा आगे 1397-फसली से 1402-फसली तक निरंतर बना रहा। प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 18.07.1997 के आदेश के माध्यम से रफीक को अंतरणीय अधिकारों सहित भूमिधर घोषित किया गया। यह भी प्रतिपादित किया गया कि उक्त पट्टा बिना किसी सुनवाई का अवसर प्रदान किए सीधे ही दिनांक 31.07.2012 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(3) याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 31.07.2012 के आक्षेपित आदेश की ओर आकृष्ट किया, जिसमें यह उल्लेखित है कि प्राधिकारीगण ने यह आदेश सिविल विविध रिट याचिका संख्या 47176 सन् 2009 में दिनांक 08.09.2009 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में पारित किया है।

(4) यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त सिविल विविध रिट याचिका संख्या 47176 सन् 2009 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.09.2009 में इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को प्रदत्त पट्टा प्रथम दृष्टया अवैध पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की जाए तथा तत्पश्चात ही उसका पट्टा निरस्त किया जाए, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(5) याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह भी न्यायालय को अवगत कराया गया कि वर्तमान तिथि तक याचिकाकर्तागण विवादित पट्टा भूमि पर वास्तविक कब्जे में हैं।

(6) याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि बिना किसी विधिवत कार्यवाही अपनाए तथा बिना याचिकाकर्तागण अथवा मूल आवंटी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए, पट्टा को संक्षिप्त कार्यवाही में सीधे ही निरस्त कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया दिनांक 31.07.2012 का आदेश विधि की दृष्टि में स्थायी प्रतीत नहीं होता है।

(7) प्रकरण विचारणीय है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(8) समस्त प्रत्यर्थागण को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। इसके उपरांत याचिकाकर्तागण को प्रत्युत्तर प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

(9) प्रकरण को छह सप्ताह की अवधि उपरांत सूचीबद्ध किया जाए।

(10) अगली आदेशावधि तक दिनांक 31.07.2012 का आदेश स्थगित रहेगा तथा याचिकाकर्तागण को आक्षेपित आदेश के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।

3. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्तागण समान राहत के अधिकारी हैं।

4. उक्त तथ्य को प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

5. प्रकरण विचारणीय है।

6. समस्त प्रत्यर्थागण को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु छह सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

7. याचिकाकर्तागण को प्रत्युत्तर प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

8. प्रकरण को तत्पश्चात रिट-सी संख्या 22475 सन् 2024 के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

9. आगामी आदेश तक दिनांक 31.07.2012 का आदेश स्थगित रहेगा तथा याचिकाकर्तागण को आक्षेपित आदेश के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।